



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 जून 2015—ज्येष्ठ 16, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2015

क्र. डी-15-20-15-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित करती है :—

क्रमांक (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	जिला (3)
01	नरसिंहगढ़	राजगढ़

(1) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक-1 में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मण्डी फीस प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है।

(2) यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2015

क्र. डी-15-20-15-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 6th June 2015

No. D-15-20-15-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, levies market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupee of the price on fruits vegetables in the market area of the following market committee :—

S.No.	Name of the market committee	District
(1)	(2)	(3)
01	Narsinghgarh	Rajgarh

- (1) Notwithstanding what is stated in para (1) the levy of market fee in the case of only oranges and Bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price.
- (2) This notification shall come into force with effect from the date of publication in the “Madhya Pradesh Gazette”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.